कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 115 /बिजनौर/20898/2016/यूपी–169, दिनांक लखनऊ, नवम्बर 25 , 2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : बिजनौर–नूरपुर–छजलैट मार्ग (एस0एच0 -76) किमी0 5.725 से 42.725 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 27.23 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1249 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/90/2016/एफसी/341, दि0 20.10.2016,
उ0प्र0शासन का पत्रांक- भा.स. 234/14-2-2016–800(141)/2016, दि0 03.11.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र, जो शासन को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है एवं तद्क्रम में शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सूचनायें पूर्ण कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त सूचनायें एवं अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थीं।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, मुरादाबाद के पत्रांक–1512/14–1, दिनांक 22.11.2016 द्वारा बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया हैं। उक्त प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रस्ताव की मूल प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बिजनौर।
3 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, बिजनौर।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।